



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 28, 2020 (SRAVANA 6, 1942 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 1/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश के रूप में हरियाणा सरकार के राजपत्र यानी 19.04.2019 में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित अधिसूचनाओं को वापस लेते हैं जिसके लिए प्रकाशित की गई ये अधिसूचनाएं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जारी नहीं की गई थी।

- (i) कार्यालय आदेश संख्या 33/आरईजी-18 दिनांक 27.02.1989 के लिए हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 10 दिनांक 19.04.2019
- (ii) कार्यालय आदेश संख्या 168/आरईजी-21/एल-II दिनांक 20.10.1993 के लिए हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 19 दिनांक 19.04.2019

चण्डीगढ़ :
दिनांक 11 मई, 2020.

टी. सी. गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 1/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to withdraw the following notifications from the date of its publication in the Haryana Government Gazette i.e. 19.04.2019 as the office orders for which these notifications are published were not issued by the erstwhile HSEB under Section 79 (c) of the Electricity (Supply) Act, 1948:-

- (i) Notification No. 10 dated 19.04.2019 notified in the Haryana Government Gazette for the office order No. 33/REG-18 dated 27.02.1989.
- (ii) Notification No. 19 dated 19.04.2019 notified in the Haryana Government Gazette for the office order No. 168/REG-21/L-II dated 20.10.1993.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T.C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.